हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 56

वीरवार, 29 अगस्त, 2019/7 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले कल लोकसभा में 'अध्यक्ष सम्मेलन' का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई। इसमें विधान मण्डलों एवं विधान सभाओं के 30 माननीय अध्यक्षों ने भाग लिया। यह चर्चा 10.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई और 5.00 बजे अपराह्न समाप्त हुई। इसमें सभी माननीय अध्यक्ष इस बात को लेकर चिंतित थे कि सदन की बैठक के एक दिन के लिए 20 से 50 तारांकित प्रश्न तक चर्चा के लिए लगाए जाते हैं परंतु चर्चा केवल 2, 4 या 10 प्रश्नों पर ही हो पाती है। बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, विजय चौधरी जी ने कहा कि उन्होंने 50 प्रश्नों पर एक दिन में चर्चा करवाई है। उनका यह भी कहना था कि अलबत्ता यह रोज़ नहीं हो पाता, परंतु हम इस दिशा में आगे बढ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी

चर्चाएं हुई कि ज्यादा-से-ज्यादा सूचनाएं चर्चा हेतु लगें और विषय-वस्तु के ऊपर ही माननीय सदस्य चर्चा करें। आने वाले समय में यह हो सकता है कि इस बारे में लोकसभा की तरफ से कोई एडवाइज़री भी आए। मेरा भी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा-से-ज्यादा प्रश्न कम-से-कम समय में निकालें।"

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1429 (स्थगित) पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 888 (स्थगित) के उत्तर पर श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा यह पूछे जाने पर कि सूचना कब तक उपलब्ध कर दी जाएंगी, मुख्य मंत्री ने कहा कि वांछित सूचना अगले सत्र तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। तारांकित प्रश्न संख्याः 1510, 1511, 1513 व 1515 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1512 व 1514 के उत्तर पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) ने दिए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1516 से 1543 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 431 से 450 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ।

(2) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2015-16, 2016-2017 एवं 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2017-18; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 57वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 58वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 59वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 60वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 174वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 61वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 62वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति का 64वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2016-17) के ऑडिट पैरा संख्याः 3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

(प्रस्ताव स्वीकार)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने नियम-101 के अंतर्गत प्रस्तुत अपने संकल्प, जिसमें विधायकों के सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने हेतु उन्हें अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई है, को कार्यसूची में शामिल करने की बात कही। उन्होंने अनुरोध किया कि इस विषय को कम-से-कम अगले सत्र में तो चर्चा हेतु अवश्य लिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदस्यों की संपत्ति के ब्यौरे संबंधी ऐसे विषय Ethics Committee के विचारार्थ आने चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक हर पांच साल की अवधि में अपनी संपत्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से सार्वजनिक करते हैं जो आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा पब्लिक डोमेन के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

"श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, माननीय सदस्य ने नियम-101 के अंतर्गत यह विषय प्रस्तुत किया था। यह पहला अवसर है कि नियम-101 के अन्तर्गत 11 मामले माननीय विधायकों ने प्रस्तुत किए हैं लेकिन 11 में से 2 माननीय सदस्यों के विषय ऐसे लगते हैं कि वे नियम-101 नहीं आने चाहिए। हमने उनसे आग्रह किया की आपका विषय नियम-62 और 130 में लग सकता है। इस विषय को अगले दिन नियम समिति, Ethics Committee के समक्ष रखा गया। माननीय समिति में अनेक सदस्य मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी कि हम लोग जब पांच वर्ष के बाद चुनाव लड़ने के लिए जाते है तो एक शपथ पत्र देते हैं और हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते है। इस आधार पर Ethics Committee ने इस विषय को चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं माना है। माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने पुनः आज एक पत्र दिया है और आग्रह किया है कि अगले सत्र में इस विषय को चर्चा में लाया जाए। अगले सत्र में लाने के लिए इस पर विचार किया जाएगा।"

मुख्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था पर सहमति प्रकट की।

5. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण**

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार किया जाए।

श्री जगत सिंह, श्री राकेश सिंघा व श्री सुखविन्द्र सिह सुक्खु ने चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने टिप्पणी की।

संसदीय कार्य मंत्री ने टिप्पणी का उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा व श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने स्पष्टीकरण मांगे।

मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"**हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)"पारित हुआ।**

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)" पर विचार किया जाए।

श्री राम लाल ठाकुर ने खण्ड 2, 3, 6 व 7 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री राकेश सिंघा, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा श्री जगत सिंह नेगी ने चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा व श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने स्पष्टीकरण मांगें।

मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री राम लाल ठाकुर के संशोधन अस्वीकार हुए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)" पारित हुआ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12)" पर विचार किया जाए।

श्री हर्षवधर्न चौहान, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री राकेश सिंघा व श्री राम लाल ठाकुर ने चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मुख्य मंत्री के उत्तर पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

मुख्य मंत्री ने उत्तर जारी रखा।

विपक्ष ने 1.40 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया गया।

मुख्य मंत्री ने बहिर्गमन की निंदा की।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) "पारित हुआ।

(01.44 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 03.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 03.00 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन के ध्यान में लाया कि कार्यसूची के अनुसार अभी नियम-62 के अन्तर्गत 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा हेतु शेष है जबकि आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। उन्होंने सदन से निर्णय देने का अनुरोध किया ताकि सदन की सहमति के अनुसार ही आगामी मद पर चर्चा की जा सके। सभी पक्षों द्वारा अपने-अपने विचार प्रस्तुत करने पर निर्णय हुआ कि गैर-सरकारी सदस्य दिवस होने के दृष्टिगत आज केवल संकल्पों

पर ही चर्चा की जाए तथा शेष मदों को अगले कार्य दिवसों की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा -

> "एक चीज बड़ी स्पष्ट है, मैं संसद में हुई कल की बैठक का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल एक विधान सभा के अध्यक्ष ने मीडिया के सामने कहा कि हम दल विशेष से तो आते है परन्तु अध्यक्ष आसन पर बैठ कर हम पूरा प्रयास करते हैं कि सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले।"

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

"**संकल्प**"

दिनांक 22 अगस्त, 2019 को गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर प्रस्तुत अपने निम्नलिखित संकल्प पर **श्री जीत राम कटवाल, सदस्य** ने आगे चर्चा कीः-

> *"This House may discuss the situation arising out of restrictions imposed on all construction works stopped due to FRA/FCA cases in the State."*

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री आशीष बुटेल
2. श्री राकेश पठानिया
3. श्री रविन्द्र कुमार
4. श्रीमती आशा कुमारी
5. श्री रमेश चंद ध्वाला
6. श्री राकेश सिंघा
7. श्री जगत सिंह नेगी

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

(संकल्प वापिस हुआ।)

पहला "संकल्प":

(i) **श्री सुख राम चौधरी, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हज़ारों हैक्टेयर खाली पड़ी वन भूमि पर योजनावार एक मुश्त पौधारोपण की नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री नरेन्द्र ठाकुर
2. श्री जवाहर ठाकुर
3. श्री राकेश सिंघा

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

(संकल्प वापिस हुआ।)

दूसरा "संकल्प":

(ii) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन नीति को और दिशा देने पर पुनः विचार करें।"

(संकल्प पर चर्चा अगले गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर होगी।)

05.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 29 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।